UPAZ010051532026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़।

उपस्थितः कमला पति-I, एच०जे०एस० (प्रभारी सत्र न्यायाधीश)

(JO CODE- UP 6168)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2149/2026

आमिर उम्र लगभग 28 साल पुत्र इरशाद निवासी मुहल्ला पठान टोला थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़। .....**आवेदक/अभियुक्त।**

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार .....**विपक्षी/अभियोगी।**

दिनांक-03.06.2026

1- प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. आवेदक/ अभियुक्त **आमिर** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-**56/2026** अन्तर्गत धारा- **64(1), 351(3), 352 बी.एन.एस.,** थाना **सरायमीर**, जनपद **आजमगढ़** के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त कारागार में निरुद्ध है।

2- जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में मो. अनीक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि जमानत प्रार्थना में वर्णित समस्त बातें उसकी निजी जानकारी में सही व सच हैं।

3- **संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि** वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा थाना स्थानीय पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि आमिर लगभग 6 वर्षों से वादिनी से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण कर रहा था, जिसके संबंध में वादिनी ने मुकदमा दर्ज कराया था, वह जेल गया। जेल से आने के बाद दिनांक 26.02.2026 को वादिनी के किराये के कमरे पवई लाड़पुर में समय करीब 08.30 बजे रात में आया और जबरदस्ती बलात्कार किया। मना करने पर जान से मारने की धमकी दिया, कहने लगा कि यहां से भाग जाओ नहीं तो जान से मार दूंगा और गाली देकर भाग गया। कह रहा था कि पांच महीने का बदला लूंगा।

4- **आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि** आवेदक निर्दोष है, रंजिशवश अभियुक्त बना दिया है। आवेदक को साजिश के तौर पर झूठा परेशान करने की नीयत से फंसाया गया है।वादिनी लगभग 10 वर्ष पूर्व घर से भाग कर अपने माता पिता के मर्जी के खिलाफ लुधियाना में ही शादी करके रहने लगी, वहां अपने पति के साथ लगभग 03 वर्ष रहने के पश्चात यह ज्ञात होने पर कि पति को मिर्गी का दौड़ा पड़ता रहता है। मार-पीट, झगड़ा झंझट कर लेन-देन करके पुनः वापस अपने घर कस्बा फूलपुर आ गयी तो उस समय उसके अभिभावक व रिश्तेदार वादिनी की स्वीकार नहीं किये व घर के दरवाजे सदैव के लिए बन्द कर दिये। तत्पश्चात वादिनी सरायमीर कस्बे में पवई लाडपुर मुहल्ला में किराये का मकान लेकर अर्सा 07 वर्ष पूर्व से रहने लगी। आवेदक द्वारा घर घर आर-वो/फिल्टर पानी पहुँचाने का कार्य किया जाता था। अर्सा 06 वर्ष पूर्व आवेदक तथा वादिनी से इस्ट्राग्राम व फेसबुक के माध्यम से मुलाकात सम्बन्धों में बदल गयी तथा आवेदक वादिनी की मदद करने

Digitally signed by KAMALA PATI PAL
Date: 2026.06.03 13:34:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लगा तथा हर सम्भव सहायता रूपये पैसे से मदद करता रहा। कालान्तर मे वादिनी और आवेदक में अन्तरंग सम्बन्ध हो गया तथा दोनो लिव इन रिलेशन में रहने लगे। वादिनी दबाव बनाने लगी कि अपनी पत्नी को छोड़ कर मेरे साथ शादी/ निकाह करके रहो। जब आवेदक अपनी पत्नी व बच्चों को छोड़ने को तैयार नही हुआ तो दिनांक 22.08.2025 को प्रार्थिनी ने थाना सरायमीर में एक प्रार्थना पत्र दिया, उसके बाद दोनो पक्षों में थाना सरायमीर में सुलह समझौता हुआ कि वादिनी आवेदक के साथ विगत 06 वर्षों से रिलेशनसिप में रह रही थी, खाने पीने का सामान व खर्च नही दिया जा रहा था, जिसके सम्बन्ध में शिकायत की थी, अब हम दोनों आपस में सुलह कर लिये है। हम दोनों रिलेशनसिप में रहेंगे, मै आमिर के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नही करना चाहती हूँ। अब आमिर के खिलाफ कोई प्रार्थना पत्र नही दिया जायेगा। इसके बाद लेनदेन में अनबन व समझौता विफल होने के उपरांत पुनः दिनांक 14.09.2025 को अ० स० 399/2025 दर्ज करा दी जिसमें आवेदक जेल चला गया। आवेदक फरवरी 2026 के अन्तिम सप्ताह में जेल से छूटा तो वादिनी ने आवेदक के ऊपर दबाव डाला कि मुझे रूपये पैसों की जरूरत है। वे दो तो मैं मुकदमा में सुलह कर लूंगी। आवेदक रूपया पैसा वादिनी को नहीं दे सका तब वादिनी द्वारा यह कहा गया कि तुम मेरे नहीं हुए तो मै किसी और की नही होने दूंगी और दबाव बनाने की गरज से यह झूठा मुकदमा कायम कराया गया है। पीड़िता पूरी तरह वयस्क है और सहमति के आधार पर यह जानते हुए कि आवेदक शादीशुदा है, उसके साथ सम्बन्ध बनाया और उससे एक मुश्त अत्यधिक धन की मांग किया जिसे देने में असमर्थता जताने पर फर्जी कथानक गढ़कर यह झूठी रपट दर्ज करा दी गयी है। आवेदक और वादिनी के बीच कोई समझौता न हो पाने व समझौता विफल हो जाने के पश्चात दिनांक 02.03.2026 को स्थानीय पुलिस थाने से अन्यत्र गिरफ्तारी दिखाकर जेल भेज दिया। तब से आवेदक जिला/मण्डल कारागार आजमगढ़ में निरूद्ध है। यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अलावा किसी अन्य न्यायालय या मा० उच्च न्यायालय में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल है और न ही विचाराधीन है। आवेदक जमानत का कभी भी दुरूपयोग नही करेगा तथा अधिरोपित शर्तों का अक्षरसः पालन करेगा। अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5- **विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)** के द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। अभियुक्त द्वारा वादिनी के घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया है। पीड़िता ने अपने बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए अभियुक्त द्वारा घटना किया जाना कहा है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों/पत्रावली का परिशीलन किया।

6. विवेचक द्वारा दौरान विवेचना पीड़िता का बयान अंतर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. दर्ज कराया गया है जिसमें पीड़िता ने अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए दिनांक 26.02.2026 की रात्रि 08.30 बजे उसके मकान में घुसकर अभियुक्त द्वारा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने, मना करने पर जान से मारने की धमकी देने, गालियां देने तथा बदला लिये जाने का कथन किया है। विवेचक द्वारा पीड़िता का बयान अंतर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. भी दर्ज कराया गया है जिसमें पीड़िता ने कथन किया है कि मैं आमिर को 5-6 साल से जानती हूं। वो मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा।

जब शादी की बातचीत हुई तो पता चला कि वो पहले से शादी शुदा है। मैने मुकदमा लिखाया तो 5 महीने जेल में रहा। जेल से छूटने के बाद उसने जबरदस्ती मेरे साथ दिनांक 26.02.2026 को शारीरिक संबंध बनाया। मैंने पूछा ऐसा क्यों किया तो बोला कि बदला लेने के लिए। उसकी मां ने मुझे मारने की धमकी दी। छीना झपटी में मेरा मोबाइल भी टूट गया।

7. इस प्रकार विवेचक द्वारा संकलित किये गये साक्ष्यों तथा पीड़िता के उपरोक्त बयानों के अवलोकन से इस स्तर पर प्रथमदृष्टया यह परिलक्षित होता है कि पीड़िता द्वारा पूर्व में दर्ज कराये गये मुकदमे के कारण अभियुक्त कारागार में निरूद्ध रहा जहां से रिहा होने के उपरांत अभियुक्त द्वारा दिनांक 26.02.2026 को वादिनी/पीड़िता के घर में घुसकर उसकी इच्छा के विरूद्ध उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया। पीड़िता ने अपने बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए अभियुक्त द्वारा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना कहा है। विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्यों से इस स्तर पर प्रथमदृष्टया प्रकरण में अभियुक्त की भूमिका परिलक्षित होती है तथा उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपों को बल मिलता है जो गंभीर प्रकृति का अपराध है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत तर्क इस स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं।

8- इस आदेश में मुकदमे के गुणदोष पर की गयी टीका-टिप्पणी जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु की गयी है जिसका मुकदमे के विचारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

9- अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, सामग्री एवं अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **आमिर** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र तदनुसार निरस्त किया जाता है।

<u>दिनांक-03.06.2026</u>

(कमला पति-I)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
आजमगढ़।